14. **नामांकनः** (1) एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, को एक अथवा अधिक व्यष्टि, किन्तु चार व्यष्टियों से अधिक नहीं, को नामिती के रूप में नामांकित किया जाए, जो एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं के देहान्त होने की स्थिति में पात्र इति शेष रकम प्राप्त करने का हकदार होगा। यह नामांकन प्ररूप 10 में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए खाता खोलने के समय किया जाना चाहिए:

(क) नामिती(यों) का नाम;
(ख) प्रतिशत भाग जिसे प्रत्येक नामिती प्राप्त करने का हकदार होगा;
(ग) क्या नामिती संपूर्ण स्वामित्व और विशेषाधिकार के साथ हिताधिकारी के रूप में, अथवा जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के लाभ के लिए एक संरक्षक के रूप में रकम प्राप्त करेगा।

(2) जहां नामिती अवयस्क हो, नामिती की अवयस्कता के दौरान जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में पात्र इति शेष का भुगतान पाने के लिए प्ररूप 10 में आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जमाकर्ता नामांकन करते समय एक व्यष्टि नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए नामांकन को खाते की परिपक्वता से पहले कभी भी जमाकर्ताओं द्वारा पासबुक के साथ, लेखा कार्यालय को प्ररूप 10 में आवेदन करते हुए बदला जा सकता है।

(4) अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति के नाम पर खातों को छोड़कर, 01 अप्रैल, 2018 से पूर्व खोले गए उन खातों के मामले में, जहां कोई नामांकन नहीं किया गया है, जमाकर्ता को नामांकन तुरंत करना चाहिए और किसी भी हाल में, खाते के परिपक्व होने से पहले तो करना ही चाहिए।

(5) एक अवयस्क द्वारा खोले गए अथवा अवयस्क या विकृतचित्त की ओर से खोले गए खाते के मामले में, जैसा भी मामला हो, संरक्षक द्वारा नामांकन किया जाना चाहिए, जो इस संबंध में स्वयं समेत किसी भी व्यष्टि को नामांकित कर सकता है:

परंतु यह कि 01 अप्रैल 2018 से पूर्व खोले गए ऐसे खातों के संबंध में कोई नामांकन अनुमत्य नहीं होगा और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, ग्राह्य रकम का भुगतान संरक्षक को किया जाएगा।

(6) उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई भी नामांकन निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त हो जाएगा, अर्थात

i. सभी नामितियों की मृत्यु;
ii. नियम 16 के अधीन प्रतिभूति के रूप में खाते का अंतरण;

(7) उप-नियम (6) में बताई गई परिस्थितियों के अधीन नया नामांकन किया जाना आवश्यक होगा।

(8) उप-नियम (1) तथा (7) के अधीन नामांकन करते समय अथवा उप-नियम (3) के निंबधनों में नामांकन में परिवर्तन करते समय अशिक्षित जमाकर्ता के अंगूठे के छाप का सत्यापन दो गवाहों द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ साक्षर जमाकर्ता के मामले में किसी भी गवाह द्वारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।